राजस्व वाद संख्या 143/2012 लादूसिंह बनाम सवाईसिंह

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत
राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प मण्डला
पीठासीन अधिकारीः– श्री राधेश्याम प्रथम (आर.ए.एस.)

रा0वा0 मु0नं0 143/2012

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1 लादू सिंह पुत्र डुगर सिंह 2 राम सिंह पुत्र डुगर सिंह 3 लक्ष्मण सिंह पुत्र डुंगर सिंह 4 ओम कंवर बेवा चन्दनसिंह 5 जितेन्द सिंह पुत्र चन्दन सिंह 6 उच्छबकंवर बेवा डुंगर तमाम जातिगण राजपूत निवासीगण धन्धेडी तहसील सोजत जिला पाली राज.।		1 सवाईसिंह पुत्र सोनसिंह 2 विजयसिंह पुत्र सोनसिंह तमाम राजपूत निवासगण धन्धेडी तहसील सोजत 3 गणपतलाल पुत्र रूपाराम जाति माली निवास कमेडी बाग, सोजत तहसील 4 तहसीलदार, सोजत

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः– उभयपक्ष उपस्थित

दिनांक 22.06.2015

–:निर्णयः–

वादी ने यह वाद प्रतिवादी के विरूद्ध धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम धन्धेडी तहसील सोजत में स्थित निम्न खसरा नम्बरान की कृषि भूमि आई है, जिस सम्पूर्ण कृषि भूमि तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जाकाश्त सुदा कृषि भूमि है। जिसके निम्न खसरा नम्बरान है–खसरा न. 855 रकबा 0.26 हैक्टर, 855 रकबा 7.35 हैक्टर, 155 रकबा 7.03 हैक्टर है।

खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर मे)	किस्म
76	2.7100	जा.सो.व.चा.सो
84	4.6900	ब.चा.दोयम
85	3.3400	ब.जा. सोयम
86	3.7500	ब.चा.सोयम
87	3.4200	ब.चा.सोयम
88	0.0100	गै. मु. बैरा. खारचिया
89	0.0200	गैर मुमकिन सडा
90	3.8900	ब चा. दोयम
91	0.0100	गैर मुमकिन बैरा
92	0.0400	गैर मुमकिन सडा
93	4.2900	ब.चा.दोयम
154	3.5800	ब चा.दोयम
156	0.4500	गंजड
856	0.0100	गैर मुमकिन बैरा

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
उप खण्ड अधिकारी एवं ... सोजत (राज.)

857	01500	गैर मुमकिन सडा
861	8.1100	ब.जा.अ.चा. दोयम
कुल खसरा 16 कुल रकबा 38.4700 हैक्टर+14.46 हैक्टर		

इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि के वर्तमान खाता संख्या 240 है। तथा पुराने खाता संख्या 230 है, उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि में वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनूसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हिस्सा तथा वादीगण का 3/8 वा हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/8 वा हिस्सा दर्ज है जो गलत दर्ज किया गया है। यह है कि वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित वर्तमान खसरा नम्बर 76 रकबा 2.7100 हैक्टर, खसरा नम्बर 85 रकबा 3.3400 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 87 रकबा 3.4200 हैक्टर के पूराने खसरा नम्बर 50 थे, जिसका कुल रकबा 84.7500 बीघा अर्थात पौने छिहतर बीघा था। वादीगण का उक्त पुराने खसरा नम्बर 50 में 1/2 हिस्सा खातेदारी एंव कब्जा काश्तसुदा था तथा 1/2 हिस्सा वादीगण के काका प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का खातेदारी एंव कब्जा काश्तसुदा स्थिर था। वादीगण ने उक्त पुराने खसरा नम्बर 50 रकबा 84.7500 बीघा मे से 1/2 अर्थात 42 बीघा 8 बिस्वा भूमि में से 10 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 28/12/1974 को प्रतिवादी संख्या 3 गणपत को बएवज रूपये 12000/– अक्षर बाहर रूपये हजार में बेचान कर दी थी। चूंकि उक्त पुराने खसरा नम्बर 50 कृषि भूमि मौके पर बटी हुई थी। इस कारण प्रतिवादी संख्या 3 गणपतलाल के हक में वादीगण के द्वारा किये गये बेचान दस्तावेज में उसे बेचान सुदा भूमि के पाडौस दर्ज कर मौके पर वादीगण के द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 को कब्जा सुपुर्द कर दिया था। उक्त बेचान मे वादीगण के द्वारा कब्जाकाश्त की जिस कृषि भूमि का 10 बीघा भूमि का विक्रय किया उसके उत्तर में तुलसाराम माली की कृषि भूमि, दक्षिण में वादीगण स्वंय की कृषि भूमि, पूर्व में वादीगण स्वंय की कृषि भूमि व पश्चिम में चारभुजा डोली की भूमि दर्ज की गई। प्रतिवादी संख्या 3 गणपतलाल के हक सन्र 1974 में जब बेचान किया गया था उस समय प्रतिवादीगण संख्या 3 गणपतलाल नाबालिग था, इस कारण राजस्व रेकर्ड में जरिये कुदरती वलि पिता रूपाराम के नाम विक्रय निष्पादित किया गया था, परन्तु वर्तमान में अब प्रतिवादी संख्या 3 गणपतलाल बालिग हो चुका है प्रतिवादी संख्या 3 गणपतलाल के हक में वादीगण द्वारा किये गये बेचान के आधार पर म्यूटेशन संख्या 159 उक्त प्रतिवादी संख्या 3 गणपतलाल के हक में दौराने सेटलमेंट अधिकारियों ने भूलवश प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के संयुक्त खातेदारी में स्थिर कृषि भूमि खसरा में प्रतिवादी संख्या 3 गणपतलाल 1/8 हिस्सा में से गलत रूप से दर्ज करने का आदेश प्रदान कर दिया। जबकि उक्त प्रतिवादी संख्या 3 गणपतलाल के हक में वादीगण द्वारा पुराने खसरा नम्बर 50 में उनके 1/2 हिस्से में से केवल मात्र 10 बीघा कृषि भूमि का बेचान ही किया गया था। अन्य खसरा नम्बर 317,55,55,50,56,51,53 व 316 में से बेचान नही किया था। सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा दिये गए म्यूटेशन की आदेश की पालना में बाद सेटलमेंट जो भी जमाबंदीयां बनी उसमें प्रतिवादी संख्या 3 गणपतलाल का 1/8 हिस्सा आगे से आगे दर्ज होता रहा तथा वर्तमान में भी राजस्व रेकर्ड की स्थिति वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित हिस्से अनुसार दर्ज है जो पूणतया गलत दर्ज हुआ है। क्योंकि प्रतिवादी संख्या 3 गणपतलाल मौके अनुसार मात्र वर्तमान खसरा नम्बर 76 रकबा 2.7100 हैक्टर में से 10 बीघा भूमि पर ही जरिये बेचान रजिस्ट्री दिनांक 27/12/1974 के अनुसार ही काबिज काश्त है। जिसका पडौस का विवरण भी उसके हक में वादीगण द्वारा किये गये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 27/12/1974 में किया गया है। उसके अनुसार ही प्रतिवादी संख्या 3 गणपतलाल का वर्तमान खसरा नम्बर 76 रकबा 2.7100 हैक्टर में से केवल मात्र 10 बीघा भूमि अर्थात्र 1/16 रकबा वा हिस्सा ही सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित था। स्वंय संख्या 3 गणपतलाल ने दौरान सेटलमेंट अधिकारियों समक्ष उजरदारी संख्या 287/78 प्रस्तुत कर अपना 10 बीघा भूमि का तरमीम पर्चा अलग से जारी करने का निवेदन किया गया था। सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा उक्त प्रत्रावली के निर्णय दिनांक 19/12/1978 में गलत निर्णय पारित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 गणपतलाल ने अपना 1/8 वा हिस्सा दर्ज कर दिये जाने का आदेश प्रदान किया गया था। जो पूर्णतया गलत है। जबकि गणपतलाल ने अपना 1/8 वा हिस्सा सम्पूर्ण भूमि में होने का कथन नही किया तथा सम्पूर्ण भूमि में 1/8 वा हिस्सा दर्ज करवाना भी नही चाहता था फिर भी सेटमेंट अधिकारियों की भूल के कारण सम्पूर्ण भूमि में प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 3 गणपतलाल का 1/8 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया था। इसलिए सेटलमेंट अधिकारियों की उक्त गलती व भूल को वादीगण जरिये घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरस्ती का वाद अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत दुरस्त करने के अधिकारी है। इसलिए यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण घोषणा खातेदारी एंव रेकर्ड दुरस्ती का पेश कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 4 तहसीलदार सोजत भूमि धारक है तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जिनको बार–बार उक्त रेकर्ड दुरस्ती हेतु प्राथर्ना प्रत्र पेश किये गये तथा राज्य सरकार द्वारा लगाये गये प्रशासन गांवों के संग केम्पों में भी वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पस्तुत किये गये तत्पश्चात्र धारा

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी एवं दण्डनायक
सोजत (राज.)

सी. पी. सी. का नोटिस दिया गया है। परन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा रेकर्ड दुरस्ती नहीं क. गई इस कारण तहसीलदार सोजत का पक्षकार बनाया गया है। परन्तु उनके विरूद्व कोई अनुतोष नही चाहा गया हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस अमर की सादिर की जावे कि सरहद मौजा धन्धेडी के खसरा नम्बर 76, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 154, 156, 856, 857 व 861 कुल खसरा 16 जिसका कुल रकबा 38.4700 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 855, 859 व 155 कुल खसरा 3 जिसका कुल रकबा 14.64 हैक्टेयर कुल 53.11 हेक्टेयर की भूमि में वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 3 गणपतलाल का नाम हटाया जाकर मात्र बेचान रजिस्ट्री दिनांक 27.12.1974 के अनुसार पुराने खसरा नम्बर 50 तथा सेटलमेन्ट के पश्चात नये खसरा नम्बर 76 रकबा 2.7100 हैक्टयेर भूमि में से केवल मात्र 10 बीघा भूमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या 3 को घोषित किया जावे तथा अन्य सभी खसरो से प्रतिवादी संख्या 3 का नाम विलोपित किया जावे तथा अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित समझे, वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

आज राजस्व लोक अदालत 2015 केम्प मण्डला में उभयपक्ष उपस्थित आये तथा आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत कर वाद डिक्री कराने का निवेदन किया। इस पर उभयपक्ष को सुना गया तथा लोक अदालत के महत्व को समझाया गया। प्रतिवादी संख्या 3 ने यह स्वीकार किया कि उनके द्वारा वादस्थ भूमि मे से मात्र 10 बीघा भूमि को क्रय किया गया है तथा सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड में उसका नाम गलती से अंकित हो गया है, जो गलत है। अतः माफिक बेचान रजिस्ट्री वर्तमान खसरा नम्बर 76 रकबा 2.7100 हैक्टेयर में से 1.60 हैक्टेयर का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार घोषित किया जावे तथा वादस्थ भूमि के अन्य राजस्व रेकर्ड से प्रतिवादी संख्या 3 का नाम विलोपित किया जाता है, तो किसी प्रकार की आपत्ति नही होना जाहिर किया।

हमने उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि उभयपक्ष ने आपसी सहमति से लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहा है, अतः ऐसी स्थिति में पक्षकारान में कोई विवाद शेष नही होना प्रतीत होता है। अतः माफिक राजीनामा वाद डिक्री योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उभयपक्ष की सहमति के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस अमर की सादिर की जाती है कि मौजा धन्धेडी तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 76 रकबा 2.7100 हैक्टेयर में से 1.6000 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवादी सख्या 3 गणपतलाल पुत्र रूपाराम जाति माली निवासी कमेडा बाग सोजत सिटी को खातेदार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 76 की शेष 1.11 हैक्टेयर सहित खसरा नम्बर 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 154, 156, 856, 857 व 861 कुल खसरा 16 जिसका कुल रकबा 38.4700 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 855, 859 व 155 कुल खसरा 3 जिसका कुल रकबा 14.64 हैक्टेयर कुल 51.51 हेक्टेयर की भूमि में से गणपतलाल पुत्र रूपाराम का नाम विलोपित करने के आदेश दिये जाते है तथा गणपतलाल के हिस्से में दर्ज भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है तथा शेष प्रविष्ठियां बदस्तूर रखने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते है। डिक्री परचा मुर्तिब हो। इस निर्णय एवं डिक्री परचा की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ तहसीलदार सोजत को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद पालना फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 22.06.15 को कोर्ट कैम्प मण्डला में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राज.)

सोजत (राज.)

राजस्व वाद संख्या 143/2012 लादूसिंह बनाम सवाईसिंह

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर, सोजत
बइजलाश श्री राधेश्याम प्रथम (आर.ए.एस.)

वादी

1 लादू सिंह पुत्र डुगर सिंह
2 राम सिंह पुत्र डुगर सिंह
3 लक्ष्मण सिंह पुत्र डुंगर सिंह
4 ओम कंवर बेवा चन्दनसिंह
5 जितेन्द सिंह पुत्र चन्दन सिंह
6 उच्छबकंवर बेवा डुंगर तमाम जातिगण राजपूत निवासीगण धन्धेडी तहसील सोजत जिला पाली राज.।

बनाम

प्रतिवादी

1 सवाईसिंह पुत्र सोनसिंह
2 विजयसिंह पुत्र सोनसिंह तमाम राजपूत निवासगण धन्धेडी तहसील सोजत
3 गणपतलाल पुत्र रूपाराम जाति माली निवास कमेडी बाग, सोजत तहसील
4 तहसीलदार, सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या 143/2012

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी उभयपक्ष पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस अमर की सादिर की जाती हैं कि मौजा धन्धेडी तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 76 रकबा 2.7100 हैक्टेयर में से 1.6000 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवादी सख्या 3 गणपतलाल पुत्र रूपाराम जाति माली निवासी कमेडा बाग सोजत सिटी को खातेदार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 76 की शेष 1.11 हैक्टेयर सहित खसरा नम्बर 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 154, 156, 856, 857 व 861 कुल खसरा 16 जिसका कुल रकबा 38.4700 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 855, 859 व 155 कुल खसरा 3 जिसका कुल रकबा 14.64 हैक्टेयर कुल 51.51 हेक्टेयर की भूमि में से गणपतलाल पुत्र रूपाराम का नाम विलोपित करने के आदेश दिये जाते है तथा गणपतलाल के हिस्से में दर्ज भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है तथा शेष प्रविष्ठियां बदस्तूर रखने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते है। डिक्री परचा मुर्तिब हो। इस निर्णय एवं डिक्री परचा की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ तहसीलदार सोजत को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद पालना फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

मीजान –   मुबलिग –   बाबत –

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22/6/2015 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

मुद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकील	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			

उपखण्ड अधिकारी एवं [illegible]
सोजत (राज.)